उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 1866 **संवाद–100** दिनांक /Date.: 19/3/2021

विषयः–सहायक अध्यापक(एल0टी0) परीक्षा के आवेदन के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा पूछी जा रही जानकारियों के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

अभ्यर्थियों द्वारा आयोग से शैक्षिक अर्हताओं की तिथि, अपने पुराने आवेदन पत्रों में संशोधन तथा कला विषय में शैक्षिक अर्हताओं की व्याख्याओं के संबंध में जानकारी की जा रही है। इस संबंध में अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है :–

सहायक अध्यापक(एल0टी0) के विभिन्न विषयों के लिए रिक्त पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि को आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के कम में दिनांक 25 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार जो भी अभ्यर्थी अब आवेदन करेंगे उन्हें शैक्षिक अर्हता, आरक्षण तथा अन्य पात्रताओं के संबंध में दिनांक 25.03.2021 तक अर्ह होना आवश्यक है इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जो 06 माह की छूट दी गयी है इस छूट के लिए अर्ह अभ्यर्थी भी 25.03.2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

कला विषय में राज्य सरकार द्वारा अर्हताओं में संशोधन कर अब बी0एड उपाधि को हटा दिया गया है। नयी अर्हताओं में पेटिंग(फाइन आर्ट) एवं पेटिंग (विजवल आर्ट) पर कई अभ्यर्थियों द्वारा आयोग से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। इस मामलें में आयोग ने शिक्षा विभाग से उनकी टिप्पणी मांगी है चूंकि नियम बनाना विभाग/राज्य सरकार का दायित्व है अतः उनके द्वारा जो भी व्याख्या इसकी की जायेगी उसी के अनुरूप अभिलेख सत्यापन के समय आयोग द्वारा पात्रता देखी जायेगी।

कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोग से अपने पूर्व में भरे गये आवेदन पत्रों में संशोधन की मांग की जा रही है इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आयोग दिनांक 27 मार्च से 02 अप्रैल, 2021 के मध्य भरे गये आवेदन पत्रों में संशोधन का अवसर देगा किंतु इसमें निम्न चार प्रविष्टियों में संशोधन नहीं किया जा सकेगा :–1–अभ्यर्थी का नाम, 2–ईमेल, 3–आरक्षण श्रेणी एवं 4–विषय, क्योंकि इन चारों प्रविष्टियों में अतिआवश्क जानकारी है जिसकों संशोधित करने से अन्य प्रविष्टियों एवं शुल्क पर भी असर पड सकता है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो इन चार प्रविष्टियों में संशोधन करना चाहते है वे अपना आवेदन पत्र कैसिंल करके 25 मार्च 2021 तक नया आवेदन करने का विकल्प लें सकते है। आवेदन कैंसिलेशन दिनांक 25.03.2021 तक ही संभव है।

अभ्यर्थियों को यह भी सुझाव है कि जिन प्रविष्टियों को वे संशोधित कर रहे हैं या जिन त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण वे आवेदन कैंसिल करने का विकल्प ले रहें हैं उन्हें OTR में भी संशोधित कर लें। OTR में संशोधन पूर्ववत निःशुल्क है।

आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए अब अभ्यर्थियों को रू0–30 का भुगतान भी करना होगा जिससे संशोधन की व्यवस्था पर होंने वाला व्यय वहन हो सके।

सहायक अध्यापक(एल0टी0) के अभ्यर्थी कृपया तदनुसार कार्यवाही समय पर कर लें इसके उपरांत आवेदन पत्र या डेटा में किसी भी प्रकार के संशोधन का अवसर नहीं मिल पायेगा।

यह भी उल्लेख करना है कि यह व्यवस्था वर्तमान में केवल सहायक अध्यापक(एल0टी0) के लिए ही उपलब्ध है क्योंकि यह आवेदन OTR व्यवस्था से अलग भराये गये थे।

आयोग की ओर से,
19/3
(संतोष बडोनी)
सचिव।

उत्कृष्टता पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता
राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वेबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com